

13/10/16

वकील वादी उपस्थित) उन्हें ए.पत्र 022 R2 पर सुना गया
उनका निवेदन रहा कि मृतक उतिवादिचा 1 के वारिसात्र रहे 7
पूर्व से अमिलेख पर है अतः उतिवादिचा 1 के नाम के आगे
मृतक लिखा जावे। ए.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
उतिवादिचा 1 के आगे मृतक लिखे जाने के आदेश पारित किये
जाते हैं वादी वकील की उतिवादिचा के LR 2 से 7 पर दिनांक
11-2-15 के लिए जारी सम्मनो पर रिपोर्ट आई है कि वे गाव
कागपुरा में नहीं रहे सली पते पर सम्मन जारी हो वादिचा
वकील को तब से भब तब 14 अक्सर दिये जा चुके हैं लेकिन
सली पते से सम्मन लालवाक पेश नहीं किया है अतः बाद
वादिचा आदेश 9 नियम 2 जा० की० के प्रावधानों के तहत
निरस्त किया जाता है मिसल फ़ैसल अग्रार लेकर नम्बर से
कम हो। बाद दफ्तर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
भसुदा (अजमेर)

